इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 जून 2016—आषाढ़ 9, शक 1938

## जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

क्र. एफ 22-02-2016-पी-1-इकतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (अराजपित्रत) भर्ती नियम, 1969 में निम्निलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

"(2) सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन, चयन सिमिति द्वारा उनके समक्ष भेंट करने के पश्चात् किया जाएगा : परन्तु तृतीय-श्रेणी (अकार्यपालिक) एवं चतुर्थ-श्रेणी के समस्त पदों के लिए समक्ष भेंट का प्रावधान नहीं होगा.".

No. F 22-02-2016-P-1-XXXI.—In the exercise of power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Water Resources Engineering and Geological (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 1969, namely:—

#### **AMENDMENTS**

In the said rules, in rule 11, for sub-rule (2), following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) Selection of the candidates for the service shall be made by the selection committee after interviewing them:

Provided that there shall be no provision of interview for all the posts of class-III (Non-Executive) and class-IV.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**आर. पी. एस. जादौन,** उपसचिव.